लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 5710

जिसका उत्तर बुधवार, 06 अप्रैल, 2022 को दिया जाएगा

आभूषणों की हॉलमार्किंग की अनिवार्यता

5710. डॉ. थोल तिरुमावलवन:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सोने और सोने के आभूषणों पर मनमाने ढंग से लागू अनिवार्य हॉलमार्किंग को वापस लेने के अनुरोध वाले जौहरियों की मांग पर विचार किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या हॉलमार्किंग का पालन न करने पर कारावास की सजा हो सकती है;
(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि छोटे सुनारों और व्यापारियों को परेशान करने के लिए ऐसे कानून का दुरुपयोग न हो; और
(ड.) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क): स्वर्ण और स्वर्ण आभूषणों की अनिवार्य हॉलमार्किंग आदेश को मनमाने ढंग से लागू नहीं किया गया है। हॉलमार्किंग को अनिवार्य बनाने से पहले, सरकार द्वारा हितधारकों की परामर्श बैठक आयोजित की गई थी। बैठक हेतु देश भर से ज्वैलर्स एसोसिएशनों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए बुलाया गया था। हॉलमार्किंग को अनिवार्य बनाने का निर्णय सभी हितधारकों के साथ परामर्श के बाद लिया गया था। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ), उपभोक्ता मामले विभाग और भारतीय मानक ब्यूरो की वेबसाइटों पर भी मसौदा आदेश को डाला गया था।

साथ ही, आरंभ में 15 जनवरी 2021 से हॉलमार्किंग को अनिवार्य करने के प्रस्ताव के साथ अनिवार्य हॉलमार्किंग आदेश 15 जनवरी 2020 को जारी किया गया था जिसे बाद में बढ़ाकर 23 जून, 2021 से अनिवार्य बना दिया गया। इस प्रकार, ज्वैलर्स को अनिवार्य हॉलमार्किंग के लिए लगभग डेढ़ साल का समय दिया गया था।

इसके अतिरिक्त, देश के मात्र 256 जिलों में स्वर्ण आभूषणों/कलाकृतियों की हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी गई है, जहां 14, 18 और 22 कैरेट के लिए कम से कम एक एसेइंग और हॉलमार्किंग केन्द्र है।

इसके अतिरिक्त, अनिवार्य हॉलमार्किंग आदेश में कुछ छूट भी प्रदान की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ज्वैलर्स के किसी भी वर्ग को इसके कार्यान्वयन के कारण कोई अनुचित कठिनाई न हो।

साथ ही, ज्वैलर्स/व्यापारियों और अन्य हितधारकों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए अनिवार्य हॉलमार्किंग स्कीम से संबंधित निम्नलिखित कदम उठाए गए:

- ऑनलाइन पंजीकरण, आजीवन वैधता और ज्वैलर्स के पंजीकरण शुल्क में छूट
- आईएस 1417:2016 के दायरे में अतिरिक्त श्रेणियों (20, 23 और 24 कैरेट) को शामिल करना
- सॉफ्टवेयर और सर्वर क्षमता में संवर्धन तथा सॉफ्टवेयर के साथ एएचसी मशीनों का एकीकरण।
- अनिवार्य हॉलमार्किंग आदेश में छूट दी गई
- हितधारकों के साथ नियमित बातचीत
- 01 जुलाई 2021 से 435 ज्वैलर्स जागरूकता शिविर आयोजित किए गए।

अनिवार्य हॉलमार्किंग आदेश में उपरोक्त संशोधनों/परिवर्तनों के बाद, इसे वापस लेने का अनुरोध करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख): उपर्युक्त (क) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

(ग): बीआईएस अधिनियम, 2016 की धारा 29 की उप-धारा (2) और (3) के प्रावधानों के अनुसार, हॉलमार्किंग का अनुपालन न करने पर कारावास की सजा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

ये प्रावधान मुख्य रूप से ज्वैलर्स/एसेइंग और हॉलमार्किंग केन्द्रों द्वारा बीआईएस हॉलमार्क/मानक चिह्न के दुरुपयोग को रोकने के लिए बनाए गए हैं।

इस अधिनियम में केवल अधिनियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर लगाए जाने वाले न्यूनतम और अधिकतम दंड का प्रावधान है। दंड के वास्तविक परिमाण का निर्धारण, उल्लंघन की सीमा के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

(घ): जी, हां।

(ड.): 40 लाख प्रति वर्ष तक के वार्षिक कारोबार वाले छोटे ज्वैलर्स को स्वर्ण और स्वर्ण आभूषणों की अनिवार्य हॉलमार्किंग ऑर्डर से छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त, 2 ग्राम वजन तक की स्वर्ण वस्तुओं को भी अनिवार्य हॉलमार्किंग आदेश से छूट दी गई है।

साथ ही, प्रथम बिक्री केन्द्र पर हॉलमार्किंग को कार्यान्वित किया गया है और केवल उन्हीं ज्वैलर्स के विरूद्ध कार्रवाई की जाती है जिन्होंने संबंधित नियमों का उल्लंघन किया है।

******